<u>नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेडए) की बैठक का कार्यवृत्त, जो 19.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में में आयोजित हुई।</u>

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
3. श्री राकेश कुमार, सहायक डीजीएफटी, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)
4. श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मेसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए)

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप. विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) , ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए), iii) श्री कृष्ण चंद्र पंत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए) iv) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, v) श्री अरुण सिंह परिहार, (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए) vi) श्री श्रीपति शर्मा, सीए, यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी और, vii) श्री नीलेश शाह, सलाहकार (सिविल अभियंता) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में, एनएसईजेडए के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और संक्षिप्त परिचय के बाद, और कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया।

<u>1. दिनांक 31.05.2024 को आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।</u>

1.1 नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 31.05.2024 को आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण की बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, 31.05.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1.2 इसके अलावा, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के अनुसार 31.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और 31.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

2. **स्किल डेवलपमेंट सेंटर हेतु फैसिलिटेशन सेंटर, NSEZ में प्रथम तल पर आवंटित जगह के किरायेदारी समझौता अगले तीन वर्ष तक नवीनीकरण करने के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और 27 छात्रों के पहले बैच के उत्तीर्ण होने, आस-पास के सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने, उपयोगिता प्रदाताओं के डिजिटल और सॉफ्ट कौशल विकास और विनिर्माण में कौशल विकास के लिए कुछ सुविधा की खोज करने की भविष्य की योजनाओं जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुविधा केंद्र की पहली मंजिल पर कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को आवंटित स्थान के लिए किरायेदारी अवधि के 3 साल के विस्तार के संबंध में लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

3. **नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की वेबसाइट का विकास करने के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने एनएसईजेड वेबसाइट के पुन: डिजाइन और संवर्द्धन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और जीईएम पोर्टल पर निविदा जारी करने का निर्देश दिया।

4. **मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड को द्वितीय किश्त का भुगतान तथा दिए गए कार्यों की लागत में वृध्दि के सम्बन्ध में|**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी:-

i. प्राधिकरण ने अतिरिक्त कार्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और एनबीसीसी से दिनांक 02.08.2024 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर फाइल पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष और सीईओ, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के कार्यालय को अधिकार दिया है।

ii. प्राधिकरण ने मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को 1726.00 लाख रुपये (स्वीकृत लागत 69.02 करोड़ रुपये का 25%) की दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्य की भौतिक प्रगति का सत्यापन समझौते और कार्य के दायरे के अनुसार सलाहकार (सिविल इंजीनियर) द्वारा किया जा सकता है।

5. **नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा में मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही विभिन्न रखरखाव सेवाओं से सम्बंधित बढ़ाई गई अनुबंध की वैधता का अनुसमर्थन के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने सभी सेवाओं के लिए मौजूदा अनुबंध में 31.08.2024 तक दिए गए समय विस्तार की पुष्टि की। प्राधिकरण ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में बागवानी कार्य और जनशक्ति की तैनाती के लिए 30.09.2024 तक एक महीने का समय विस्तार भी दिया है ताकि निविदा को अंतिम रूप दिया जा सके।

6. **मैसर्स ईआईएल को दिए गए कार्यों की लागत की प्रथम किश्त का भुगतान एवं पीएमसी के भुगतान तथा समयसूची के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा में डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन के लिए कार्य आदेश इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को 6% की परामर्श शुल्क पर दिया गया था, जिसकी अनुमानित लागत ₹76 करोड़ थी। ईआईएल ने अपने आंतरिक परामर्श व्यय के कारण, ₹1 करोड़ की पहली किस्त और निविदा लागत का 5% भुगतान करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद निविदा में निर्दिष्ट किसी भी भुगतान शर्तों में संशोधन न करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने आंतरिक व्यय को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित नियमों और शर्तों (निविदा की संख्या 4.7) के अनुसार मेसर्स ईआईएल को ₹3,19,90,000 की मंजूरी दी।

7. **एनएसईजेड की सभी इमारतों(14 एसडीएफ ब्लॉक्स एवं बीएसएनएल स्टाफ क्वार्टर के 02 ब्लॉक्स) की संरचनात्मक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि भारत सरकार के उपक्रम और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) की सहायक कंपनी सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईआईएल) ने एनएसईजेड नोएडा फेज-2 में 14 एसडीएफ ब्लॉक और 2 आवासीय ब्लॉक के स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए 13.08.2024 को ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में कार्य के दायरे को रेखांकित किया गया है, जिसमें जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और यह निर्धारित करने के लिए संरचनात्मक ऑडिट करना शामिल है कि क्या संरचनाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सीईआईएल ने इस कार्य के लिए ₹32,00,000 प्लस जीएसटी (वर्तमान में 18%) का एकमुश्त शुल्क उद्धृत किया।

निर्णय- प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईआईएल) को 32,00,000/- रुपये प्लस जीएसटी* की अनुमानित लागत पर उपर्युक्त कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया। भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:-

i. साइट पर अभियंता को लाने और निर्माण स्थल दौरा (साइट विजिट), एनओटी/परीक्षण आदि की आवश्यकताओं की पहचान सहित प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 25%।
ii. प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 25%।
iii. अंतिम मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 25%।
iv. अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 15%।
v. संक्षेप में लेखापरीक्षा निष्कर्ष, अवलोकन, सिफारिश, निष्कर्ष आदि की प्रस्तुति पर 10%।

**आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जीएसटी शून्य दर वाला होगा।*

8. **मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा |**

मेसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्राधिकरण ने एक-एक करके सेवाओं की समीक्षा की तथा प्रगति पर ध्यान दिया।

9. **जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से 03 इलेक्ट्रिक बाइक के स्थान पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीदारी के सम्बन्ध में ।**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने GeM पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिक बाइक के स्थान पर 03 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

10. **प्लॉट संख्या** 142A/18, **एन०एस०ई०जेड०पर बने भवन की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने के सम्बन्ध में |**

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्लॉट संख्या 142ए/18, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी/माल का आरक्षित मूल्य नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा 26.10.2015 को आयोजित बैठक में आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए तय किए गए घटकों के अनुसार तय किया जा सकता है और भवन को जल्द से जल्द ई-नीलामी में रखा जा सकता है।

11. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)नियम, 2006 के नियम 72 के तहत मैसर्स नाइटप्रो इंटरनेशनल मैसर्स डीजे फ्लोक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा। पुनरुद्धार (पुनरुद्धार) के प्रस्ताव के संबंध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में वाईपी (कानूनी) द्वारा दी गई कानूनी राय पर चर्चा की गई। राय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

"यह देखते हुए कि मेसर्स डिजीफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड को 1998 में एक अलाभकारी इकाई घोषित किया गया था और पुनरुद्धार पैकेज को 2011 में मंजूरी दी गई थी, पट्टा किरायाकी गणना इस समयरेखा को दर्शानी चाहिए। विशेष रूप से, मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल पर उस अवधि के लिए पट्टा किराया नहीं लगाया जाना चाहिए, जिसके दौरान इकाई गैर-संचालनशील थी। पट्टा किरायादेनदारियों को 2011 से वहन किया जाएगा, उस अवधि के अनुरूप जब इकाई से पुनरुद्धार योजना के तहत अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना शुरू करने की उम्मीद थी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 72 (5) के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि "जहां एक इकाई को किसी अन्य इकाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो देयता उस नई इकाई को हस्तांतरित हो जाएगी जो अलाभकारी इकाई को अधिग्रहित कर रही है।" मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल मेसर्स डिजीफ्लेक्स इंडिया

लिमिटेड के बकाया बकाये की जिम्मेदारी लेगा। इस प्रकार, 2011 के बाद से पट्टा किरायाकी गणना उचित है, जो उस अवधि को दर्शाती है जिससे पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी गई थी और इकाई से वित्तीय दायित्वों का पालन करने की उम्मीद थी"।

इसके अलावा, यूसीसी एंड एसोसिएट एलएलपी (एनएसईजेड में सूचीबद्ध) के सीए श्री श्रीपति ने बैठक में भाग लिया और राय दी कि दी गई परिस्थितियों में वर्ष 1998 से 2011 की अवधि के दौरान पट्टा किराया लागू नहीं है क्योंकि इकाई को अलाभकारी घोषित किया गया था और किराये की देनदारियों को 2011 से वहन किया जाएगा।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि वर्ष 1998 से 2011 की अवधि के दौरान पट्टा किराया लागू नहीं है क्योंकि इकाई को अलाभकारी घोषित किया गया था और एस्टेट डिवीजन को तदनुसार पट्टा किराया पुनर्गणना करने का निर्देश दिया। इसने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)नियम, 2006 के नियम, 72 के तहत मेसर्स डिजिफ्लेक्स इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए इकाई मेसर्स निटप्रो इंटरनेशनल के प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग को आगे के विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

किरण मोहन मोहाडिकर
उप विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी